संख्या-12/2018/1496/46-2-18-41/17

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2018

विषय- उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की सहायक कम्पनी उ.प्र. राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि. की पिपराईच (गोरखपुर) चीनी मिल की अविवादित भूमि पर 3500 टी.सी.डी. (5000 टी.सी.डी. विस्तारीकरण योग्य) क्षमता की नई चीनी मिल मय 18 मेगावाट के को-जनरेशन प्लान्ट तथा 60 के.एल.पी.डी. आसवनी की स्थापना हेतु रू.80.00 करोड की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि0 के पत्र संख्या-पी.सी./एसएससी/श.बजट/पिपराईच/744 दिनांक 20.07.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की सहायक कम्पनी उ.प्र. राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि. की पिपराईच चीनी मिल की अविवादित भूमि पर 3500 टी.सी.डी. (5000 टी.सी.डी. तक विस्तारीकरण योग्य) क्षमता की नई चीनी मिल मय 18 मेगावाट के को-जनरेशन प्लान्ट तथा 60 के.एल.पी.डी. आसवनी की स्थापना हेतु पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड (पी.आई.बी.) से अनुमोदित धनराशि रू.40089.67 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू.90.00 करोड की धनराशि शासनादेश संख्या-4/2018/600/46-2-18-41/17 दिनांक 20 मार्च, 2018 द्वारा ऋण के रूप में स्वीकृत/ अवमुक्त की गई थी। उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 20.07.2018 के अनुक्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में प्राविधानित धनराशि रू.300.00 करोड में से द्वितीय किश्त के रूप में रू.80.00 करोड (रूपया अस्सी करोड मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के तहत ऋण के रूप में श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि कृपया वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-1 के पैरा-223 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आवश्यकतानुसार आहरित कर उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. को उ.प्र. राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि. की पिपराईच चीनी मिल की अविवादित भूमि पर नई चीनी मिल मय को-जनरेशन प्लान्ट तथा आसवनी की स्थापना हेतु तत्काल उपलब्ध कराएँ:-

(i) राज्य सरकार की सामान्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऋण की अदायगी 10 वर्षों में की जायेगी।

(ii) ब्याज दर 14 प्रतिशत (11.50 + 2.50) प्रतिवर्ष वार्षिक होगी। मूलधन एवं ब्याज की नियमित अदायगी पर ब्याज दर में 2.50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी तथा प्रभावी ब्याज दर 11.50 प्रतिशत होगी।

(iii) मूलधन/ब्याज अदायगी में व्यवधान होने पर 2.50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य न होगी तथा प्रभावी ब्याज दर 14 प्रतिशत देय होगी। दण्डात्मक ब्याज दर अदायगी की निश्चित तिथि से अदायगी की वास्तविक तिथि के ठीक पूर्व तक लागू रहेगी।

(iv) मूलधन एवं ब्याज की अदायगी की तिथि ऋण आहरण की पहली वर्षगांठ तिथि होगी। अग्रतर किश्तों की अदायगी इसी प्रकार एक वर्ष की समाप्ति पर पड़ने वाली वर्षगाँठ तिथि को की जानी होगी।

.....2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- उक्त धनराशि उसी प्रयोजन के लिए व्यय की जाएगी, जिस हेतु स्वीकृत की गई है।

3- पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड (पी.आई.बी.) के बैठक दिनांक 17.11.2017 में प्रश्नगत परियोजना के परिक्षणोपरान्त दिये गए निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 उक्त ऋण के आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ.प्र. इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

5- चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँ।

6- भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जाएगा जब यह सुनिश्चित हो जाए कि चीनी निगम ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहें और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा देंगें।

7- इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/महालेखाकार को प्रेषित किया जाएगा।

8- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन निदेशक (वित्त)/ वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित निदेशक (वित्त) आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-04-चीनी-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-04-बन्द चीनी मिल पिपराईच (गोरखपुर) में नई चीनी मिल एवं को-जनरेशन प्लान्ट तथा आसवनी की स्थापना-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जाएगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6/592/दस-18 दिनांक 28 अगस्त, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

संख्या-12/2018/1496(1)/46-2-2018-तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
5- चीनी उद्योग अनुभाग-1/ 3
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।